Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मेसर्स गल्फ आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर को रायपुर जिले के रायपुर वनमंडल अंतर्गत तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम भेलारी दुधावा में मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन 4.00 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार तथा मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण वर्ष 1980 के पूर्व किये जाने के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होने के फलस्वरुप भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 29.01.2018 के अनुसार आवेदक संस्थान पर पेनाल्टी लगायी जाने के शर्त पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 04-01-2020

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.
Forest Department

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

221

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक/एफ 5–29/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/01/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001।

विषयः– रायपुर जिले के रायपुर वन मंडल अंतर्गत तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम भेलारी दुधावा में मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन के 4.00 हे. वन भूमि मेसर्स गल्फ आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव बाबत्।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–555/2537, दिनांक 10.08.2018 तथा क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–555/996, दिनांक 15.04.2019 एवं पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–555/ 2728, दिनांक 30.10.2019 ।

———00———

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्रमांक	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** मेसर्स गल्फ आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर (आवेदक) द्वारा रायपुर जिले के रायपुर वनमंडल अंतर्गत तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम बिलाड़ी, घुघवा, में मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) निर्माण हेतु आरक्षित वन के 4.00 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है।	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)–** प्रस्ताव रजिस्ट्रेशन नं. **FP/CG/OTHER/28644/2017** ।	2–3
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** इस प्रस्ताव अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 41 में 4.00 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन किये जाने हेतु प्रस्तावित है।	5
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त किसी गैर वन क्षेत्र की आवश्यकता नही है।	6
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर –** सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट 1:50000 स्केल पर प्रस्तावित वन क्षेत्र को चिन्हांकित कर प्रस्तुत है। प्रस्तावित वन भूमि का **DGPS Survey Report** भी संलग्न है।	7–9

क्रमशः 2

बिंदु क्रमांक	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** प्रस्तावित वनक्षेत्र अल्प वन संनिधि का है। कक्ष के उत्तरीय मध्य भाग में 0.6 घनत्व का मिश्रित वन स्थित है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र एवं 1:50000 स्केल पर वन संनिधि मानचित्र संलग्न है।	10–12
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** निर्धारित प्रपत्र–IV में तैयार कर आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र –IV संलग्न है।	14–20
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पूर्व से ही राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित भूमि लीज़ पर ली गई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के उपरान्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।	21–22
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान मेसर्स गल्फ आईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर वचनबद्ध है। इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है।	23
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में मांग की गई वनभूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस संबंध में प्रमाण– पत्र संलग्न है।	24
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र–** आवेदित वनभूमि पर किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं किया जाना है, केवल भण्डारण कार्य किया जाना है। भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक **14.09.2006** के द्वारा इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	25
12	**वृक्ष विदोहन विवरण –** इस परियोजना अंतर्गत आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष विदोहन कार्य नहीं किया जाना है। वृक्षों की संख्या का विवरण पूर्व में अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है।	26
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** इस परियोजना अंतर्गत आवेदित **4.00** हेक्टेयर भूमि पर कोई वृक्ष विदोहन कार्य नहीं किया जाना है एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक **01.08.2017** के अनुसार **20** हेक्टेयर से कम व्यपवर्तन के प्रकरण में कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	27
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) –** परियोजना अंतर्गत आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य गैर वनभूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।	28
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा–** परियोजना अंतर्गत आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य गैर वनभूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।	29
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि आवेदक संस्थान द्वारा क्रय कर वन विभाग को हस्तांतरित किया गया है, जो कि ग्राम–उसलापुर, जिला–बेमेतरा में स्थित है और दुर्ग वनमंडल अंतर्गत आता है। वैकल्पिक वृक्षारोपण का **10** वर्षीय परियोजना दुर्ग वनमंडल द्वारा तैयार कर संलग्न है।	31–48

क्रमशः 3

बिंदु क्रमांक	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।	49
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण –** प्रस्तावित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम **1980** के प्रभावशील होने के पूर्व आवेदक संस्थान को **30** वर्ष हेतु लीज पर दी गई थी। अधिनियम उल्लंघन आवेदक संस्थान नहीं किया गया है।	50
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** आवेदक संस्थान द्वारा अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	51
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** प्रस्तावित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम **1980** के प्रभावशील होने के पूर्व आवेदक संस्थान को **30** वर्ष हेतु लीज पर दी गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	52
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र–** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि आवेदक संस्थान द्वारा क्रय कर वन विभाग को प्रदाय किया गया है। अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	53
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** यह परियोजना उत्खनन से संबंधित नहीं है। अतः कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	54
23	**रिक्लेमेशन प्लान–** यह परियोजना उत्खनन से संबंधित नहीं है। अतः रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	55
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** यह परियोजना माइनिंग से संबंधित नहीं है। अतः मायनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र संलग्न है।	56
25	**व्यवस्थापन प्लान –** इस परियोजना अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र संलग्न है।	57
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 58–70)–** निर्धारित प्रपत्र अनुसार वन अधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पूर्ण कर संलग्न किया गया है।	59–70
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** आवेदित वनभूमि के आस–पास कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।	71
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** ग्राम–बिलाड़ी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	72–78
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** जिले की कुल वनभूमि का विवरण :– आरक्षित वनक्षेत्र – **1274** हेक्टेयर नारंगी क्षेत्र – **1859** हेक्टेयर कुल – **3133** हेक्टेयर	79

क्रमशः 4

बिंदु क्रमांक	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में–** व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि निरंक है।	80
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि निरंक है।	81
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।	82
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** यह परियोजना खनन से संबंधित नहीं है।	83
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** इस परियोजना हेतु कलेक्टर, रायपुर द्वारा जारी वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र एवं उप–खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	84
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि या राजस्व वनभूमि उपयोग इस प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर महोदय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	85
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रत्यारोपित एवं भविष्य में प्रत्यारोपित की जाने वाली समस्त शर्तों एवं प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन–पत्र संलग्न है।	86–87
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति उपरान्त विभाग के मांग अनुसार राशि जमा करने संबंधी वचन–पत्र संलग्न है।	88
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत वचन–पत्र संलग्न है।	89
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** आवेदक संस्थान द्वारा आवेदित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र संलग्न है।	90
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** इस प्रस्ताव में केवल 4.00 हेक्टेयर वनभूमि का व्यपवर्तन प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त शर्त की आवश्यकता नहीं है।	91
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** इस प्रस्ताव हेतु आवेदक संस्थान द्वारा विधिवत पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।	92

क्रमशः 5

225

बिंदु क्रमांक	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – इस प्रस्ताव के अंतर्गत वन्यप्राणी परियोजना का निर्माण नहीं किया जाना है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	93
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – यह प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।	94
44	प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित **4.00** हेक्टेयर वनभूमि आवेदक संस्थान को राज्य शासन ने वर्ष **1970** में 30 वर्षों हेतु लीज़ में प्रदान किया था। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का **DGPS Survey Report** एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भूमि क्रय कर भूमि स्थल पर सीमांकित कर (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र) **DGPS Survey Report** संलग्न है।	95 से .....

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के **website www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर क्पअमतेपवद प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

Rajput

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–29/2018/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/01/2020

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, रायपुर/दुर्ग वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।
4.संचालक, मेसर्स गल्फ आईल कार्पोरेशन लि., प्लाट नं. डी 202, द्वितीय तल, श्री साई परिसर, श्री साई मंगलम के पीछे, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार, बिलासपुर–495001, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

Rajput

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग